

तहसीलदार चान्दपुर
जनसूचना के अधिकार के अन्तर्गत 16 बिन्दुओं पर सूचना

क्र०सं	बिन्दु	बिन्दुवार सूचना
1	अपने संगठन की विशिष्टियाँ कृत्य और कर्तव्य	राजस्व विभाग के तहसील स्तरीय भूमि से सम्बन्धित समस्त कार्यों का निस्तारण कर किसानों/व्यक्तियों को लाभ पहुंचाना, कानून एवं शान्ति व्यवस्था, संग्रह कार्य, भूमिहीनों को भूमि आवंटन से सम्बन्धित कार्य, आवास आवंटन, विवादित भूमि से सम्बन्धित मामलों का धारा 34 एल0आर0एक्ट, धारा 122 जैड.ए. व एल0आर.एक्ट धारा 186 जेड ए. व एल0आर0 एक्ट के अन्तर्गत सुनवाई कर निस्तारण करना। निर्वाचन से सम्बन्धित समस्त कार्यों का निष्पादन, शासन की मन्शा के अनुरूप समय-समय पर अभियान के रूप में अभियान चलाकर भूमिहीनों को भूमि आवंटन कर पट्टा वितरण करना, राष्ट्रीय अल्प बचत में योगदान कराना आदि। राजस्व विभाग/ तहसील स्तर से सम्बन्धित समस्त आंकड़ों को संकलित कर सूचनाएं पाक्षिक एवं मासिक/ त्रैमासिक/ वार्षिक उच्चाधिकारियों को प्रेषित की जाती है।
2	अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियाँ और कर्तव्य	अधिकारी एवं कर्मचारी राज्य सरकार के अधीन कार्य करते हैं और राज्य सरकार के अधीन ही शासकीय कार्य सम्पन्न करते हैं।
3	विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित है	क्रमशः निम्न अधिकारी एवं कर्मचारी कार्य करते हैं— तहसीलदार, तहसीलदार न्यायिक, नायब तहसीलदार चान्दपुर/ बुढपुर एवं बास्टा, प्रशासनिक अधिकारी, वासिल बाकी नवीस, सहायक वासिल वाली नवीस, राजस्व लिपिक, नायब नाजिर, पेशकार, अहलमद, नकल नवीस, रजिस्ट्रार कानूनगो, सहायक रजिस्ट्रार कानूनगो, संग्रह अमीन, संग्रह चपरासी, राजस्व निरीक्षक, चैनमैन, लेखपाल तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी आदि कार्यरत हैं। शासन द्वारा उच्चाधिकारियों द्वारा संचालित कार्यक्रम का संचालन/ निरीक्षण/ पर्यवेक्षण किया जाता है। कार्यालय तहसील चान्दपुर स्याऊ में स्थित है।
4	अपने कृत्यों के निर्वहन के लिये स्वयं द्वारा निर्धारित मापमान	जिलाधिकारी/अपर जिलाधिकारी/ उपजिलाधिकारी, नियन्त्रण अधिकारी का पद सृजित है जिनके नियन्त्रण में रहकर सभी विभागीय अधिकारी/कर्मचारी शासकीय कार्य सम्पन्न करते हैं

5	<p>अपने द्वारा या अपने नियन्त्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किये गये नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख</p>	<p>राजस्व विभाग द्वारा तहसीलदार, तहसीलदार न्यायिक, नायब तहसीलदार चान्दुपर/बूढपुर/बास्ता, प्रशासनिक अधिकारी, वासिल वाकी नवीस, सहायक वासिल वाकी नवीस, राजस्व लिपिक, नायब नाजिर, पेशकार, अहलमद, नकल नवीस, रजिस्ट्रार कानूनगो, सहायक रजिस्टार कानूनगो, संग्रह अमीन, संग्रह चपरासी, राजस्व निरीक्षक, लेखपाल, चैनमैन तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी आदि कार्यरत है, जिनके द्वारा धारा 34 एल0आर0एक्ट, 122बी0 जैड ए0 व एल0आर0एक्ट तथा धारा 186-जेड0ए0 व एल0आर0एक्ट एवं तहसील स्तरीय समस्त कार्यों का निष्पादन सम्बन्धित कर्मचारी करते हैं तथा शासनादेश एवं पूर्व घोषित नियमावली के अनुसार कार्य करते हुए अभिलेख सुरक्षित रखे जाते हैं, जिनके लिए तहसील स्तर पर राजस्व अभिलेख कक्ष व संग्रह अभिलेख कक्ष की स्थापना की गयी है।</p>
6	<p>ऐसे दस्तावेजों की श्रेणी का विवरण जो उनके द्वारा धारित किए गये हैं अथवा उनके नियन्त्रण में है।</p>	<p>शासन द्वारा/ उच्चाधिकारियों द्वारा प्रदत्त, अभिलेख पूर्ण कर सुरक्षित रखे जाते हैं। नियमानुसार अवलोकन एवं कार्यवाही प्रस्तावित की जाती है।</p>
7	<p>किसी व्यवस्था का विवरण जिसमें उसकी नीति निर्माण अथवा उसके कार्यान्वयन के सम्बन्ध में लोक सदस्यों के साथ परामर्श या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान है</p>	<p>राजस्व विभाग द्वारा तहसील स्तरीय भूमि प्रबन्ध समिति गठित की जाती है, जिसमें जन प्रतिनिधि भाग लेते हैं और कार्यक्रम इनमें प्रस्तावित कराया जाता है जिसका अनुमोदन विभाग के उच्चाधिकारियों द्वारा किया जाता है।</p>
8	<p>बोर्ड परिषदों, समितियों, और अन्य निकायों के विवरण जिसमें दो अथवा दो से अधिक व्यक्ति हो ओर जिसकी स्थापना इसके भाग के रूप में अथवा इसकी सलाह के प्रयोजन के लिए की गयी हों, और यह विवरण कि क्या इन बोर्डों, परिषदों समितियों तथा अन्य निकायों की बैठक लोगों के लिए खुली है अथवा ऐसी बैठक के कार्यवृत्त लोगों के लिए सुलभ है।</p>	<p>तहसील प्रशासन की ग्रामीण स्तरीय बैठकों में शासन की मंशा के अनुरूप समस्त जन प्रतिनिधियों की राय ली जाती है। तदनुसार जन कल्याण कार्यक्रम का संचालन किया जाता है।</p>

9	अपने अधिकारियों / कर्मचारियों की निर्देशिका	इस संस्था के अधिकारी/ कर्मचारी राज्य सरकार के नियन्त्रण में कार्यवाही सुनिश्चित करते हैं और राज्य सरकार के निर्गत निर्देशों का पालन करते हैं।
10	अपने प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक जिसमें उसके विनियमों में यथा उपबन्धित प्रतिकर की प्रणाली सम्मिलित हों	विभागीय नियमावली के अनुसार अधिकारियों/ कर्मचारियों के मासिक तथा त्रैमासिक/वार्षिक आंकड़े जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय को प्रेषित/उपलब्ध कराये जाते हैं।
11	सभी योजनाओं प्रस्तावित व्ययों और किए गए संवितरणों पर रिपोर्टों की विशिष्टियाँ उपदर्शित करते हुए अपने प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट।	तहसील स्तर पर बजट जिला कार्यालय (कलेक्ट्रेट) से प्राप्त होता है। बजट जिला स्तर पर राजस्व विभाग (मा0 राजस्व परिषद उ0प्र0) लखनऊ द्वारा उपलब्ध कराया जाता है, जिसका समुचित उपभोग नियमानुसार करके सम्बन्धित अधिकारियों को प्रत्येक माह में व्यय विवरण भेजा जाता है।
12	सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के लाभाथियों के ब्योरे सम्मिलित है।	दैवी आपदा, मा0 मुख्यमन्त्री जी विवेकाधीन कोष आदि से बजट जिला मुख्यालय द्वारा उपलब्ध कराया जाता है, जिसका नियमानुसार व्यय कर बिल समायोजित हेतु जिलाधिकारी कार्यालय को भेजा जाता है।
13	अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं की विशिष्टियाँ	शासन के निर्देशानुसार जनता की समस्याओं के समाधान हेतु तहसील दिवस, शीतकालीन भ्रमण कार्यक्रम के अन्तर्गत रात्रि विश्राम शिविर का आयोजन किया जाता है तथा प्रत्येक दिन कार्य दिवस में सुबह 10 बजे से 12 बजे तक जनता की समस्याओं का निस्तारण किया जाता है।
14	किसी इलेक्ट्रोनिक रूप में सूचना के सम्बन्ध में ब्योरे, जो उसको उपलब्ध हो या जो उसके द्वारा धारित हो।	तहसील द्वारा समस्त सूचनाएं उच्चाधिकारियों/ जिला मुख्यालय को भेजी जाती है तथा आवश्यकतानुसार प्रिन्ट मीडिया में प्रचार-प्रसार कराया जाता है तथा शासन के निर्देशानुसार प्रत्येक तहसील दिवस कार्यवाही की सूचना वर्तमानमें इन्टरनेट पर उपलब्ध करायी जा रही है।

15	सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियाँ, जिसमें किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के, यदि लोक उपयोग के लिये अनुरक्षित है तो कार्यकरण घंटे सम्मिलित है।	सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों को लोकवाणी केन्द्रों की सुविधा उपलब्ध है। विभाग द्वारा समाचार पत्रों, सूचना पट्ट, अभिलेखों का निरीक्षण व अन्य प्रचार-प्रसार के साधनों द्वारा व्यवस्था की गयी है।
16	जन सूचना अधिकारी के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियाँ	जन सूचना अधिकारी ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी तहसीलदार चान्दपुर, सहायक जन सूचना अधिकारी श्री शर्मनानन्द यादव नायब तहसीलदार बास्टा, बूढपुर, श्री राकेश कुमार त्यागी नायब तहसीलदार चान्दपुर।

तहसीलदार
चान्दपुर